उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 516 दिनांक /Date.: 18-8-2021

संवाद–147

विषयः– वि0सं0–26, दिनांक 27 जुलाई, 2020 में कम्प्यूटर डिप्लोमा से संबंधित अर्हता के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि कई अभ्यर्थियों द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक के पदों पर कम्प्यूटर डिप्लोमा के संबंध में आशंकायें व्यक्त की जा रही है। इस सम्बंध में इस संवाद के माध्यम से निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :–

यह विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली दिनांक 21 मई 2018 के अनुरूप है व इसमें कम्प्यूटर डिप्लोमा के संबंध में निम्न प्रावधान है :–

''कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी'' इस प्रकार इसी प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन किया जायेगा।

लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संबंधित संस्थान का मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ लाना होगा एवं ऐसे प्रमाण के साथ ही आयोग द्वारा उनके अंतिम चयन पर विचार किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को इस नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है किंतु यह प्रावधान चूंकि पूर्व नियमावली में है अतः उपरोक्त वि0 सं0–26, दिनांक 27 जुलाई, 2020 में मान्यता प्राप्त संस्थान की अनिवार्यता अभी भी है जिसके लिए आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायगी।

आयोग की ओर से,

18/8

(संतोष बडोनी)
सचिव